सत्यमेव जयते

फाइल सं0 6/5/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

<u>रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 22 फरवरी, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 14-02-2011 को** 12.30 **बजे अपराह्न** आयोजित नौवीं बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर <u>3 दिन के भीतर</u> कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नौवीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक 14-02-2011 को** 12.30 **बजे अपराह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–I** पर है ।

आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: आयोग की दिनांक 10–01–2011 को आयोजित छठी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कारवाई ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 10-01-2011 को आयोजित छठी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: आयोग की दिनांक 24–01–2011 को आयोजित सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आयोग द्वारा दिनांक 24-01-2011 को आयोजित सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: आयोग की दिनांक 24–01–2011 को आयोजित सातवीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कारवाई ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 24-01-2011 को आयोजित सातवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 4: आयोग की दिनांक 31–01–2011 को आयोजित आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

आयोग द्वारा दिनांक 31-01-2011 को आयोजित आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यसूची की मद संख्या 5: आयोग की दिनांक 31-01-2011 को आयोजित आठवीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 31-01-2011 को आयोजित आठवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 6: अनुसूचित जातियों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए निरीक्षण करना ।

इस कार्यसूची की मद पर आयोग की दिनांक 14-02-2011 को आयोजित नौवीं बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया जा सका । अतः इस मद पर आयोग की दिनांक 28-02-2011 को होने वाली प्रस्तावित अगली बैठक में विचार-विमर्श के लिए स्थगित किया गया है ।

कार्यसूची की मद संख्या 7: अनुसूचित जातियों के रूप में ईसाई और इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जातियों के लिए विनिर्देशन के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 18-09-2007, 18-12-2007 और 24-12-2010 को आयोजित क्रमशः 5वीं, 7वीं और 28वीं बैठकों में लिए गए निर्णयों के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ ।

अनुसूचित जाति की सूची में दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को सम्मिलित करने के मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था । आयोग ने विचार-विमर्श के बाद इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित 2 मानदण्डों पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए:-

(i) क्या दलित ईसाई और दलित मुस्लिम धर्म परिवर्तन के बाद उन्हीं रीति-रिवाजों और परम्पराओं को मान रहे हैं जो अनुसूचित जाति के रूप में धर्म परिवर्तन से पहले मानते थे ?

(ii) क्या वे पहले की तरह ईसाई अथवा इस्लाम धर्म में धर्मान्तरण के बाद भी उन्हीं सामाजिक अशक्तताओं जैसे कि छूआछूत, भेदभाव आदि के शिकार हो रहे हैं ?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस मुद्दे पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है । स्वतंत्र अध्ययन में कुछ समय लगेगा । चूंकि मामले को तुरन्त सूचित किया जाना है, अतः यदि वे उपर्युक्त 2 मानकों को पूरा करते हैं तो आयोग अनुसूचित जाति वर्ग में दलित ईसाई और दलित मुस्लिम को सम्मिलित करने की सिफारिश करता है ।

तदनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सूचित कर दिया जाए । इस पत्र की प्रति विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी दे दी जाए । आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में आयोग के विचारों को प्रस्तुत किया जाए ।

कार्यसूची की मद संख्या 8: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. शोध और लेक्चररशिप की पात्रता शर्तों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट देना – श्री प्रदीप वर्मा, एडवोकेट–36, त्रिभूरान, उपाध्याय हॉल, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

इस कार्यसूची की मद पर आयोग की दिनांक 14-02-2011 को आयोजित नौवीं बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया जा सका । अतः इस मद को आयोग की दिनांक 28-02-2011 को होने वाली प्रस्तावित अगली बैठक में विचार-विमर्श के लिए स्थगित किया जाता है ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 14-02-2011 को अपराह्न 12.30 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित नौवीं बैठक ।

<u>उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी</u>

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

<u>अधिकारी</u>

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक
3. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव